अनुदान संख्या 80 – पेय जल पूर्ति विभाग
GRANT No. 80–DEPARTMENT OF DRINKING WATER SUPPLY

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	6001,70,00		6001,71,00	5297,09,80	–704,61,20
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					702,84,36

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "2215" जल पूर्ति तथा सफाई	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation					
मू.	O.	233408.00				
पू.	S.	1.00		214339.15	214109.07	-230.08
पु.	R.	–19069.85				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	60000.00				
				..	..	..
पु.	R.	–60000.00				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	306500.00	315385.49	315444.11	+58.62
पु.	R.	8885.49			

(I) 66557.00 लाख रु. का प्रावधान ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 66300.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2215" -

(क) "जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - अनुवीक्षण और मूल्यांकन" - 200.00 लाख रु. व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी कर दिए जाने के कारण थे।

(ख) "जल मल और सफाई - सफाई सेवाएं - मानव संसाधन विकास" - 500.00 लाख रु. प्रस्तावों के प्राप्त न होने की वजह से प्रशिक्षण प्रस्तावों के मूर्तरूप न लेने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम" - 52000.00 लाख रु.; और

(ख) "जल मल और सफाई - सफाई सेवाएं - ग्रामीण सफाई कार्यक्रम" - 8000.00 लाख रु.।

(I) Provision of Rs.66557.00 lakhs remained wholly unutilised under eleven heads; of these Rs.66300.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2215" –

(a) "Water Supply –Rural Water Supply Programme – Monitoring and Evaluation"– Rs.200.00 lakhs – due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to non-receipt of viable proposals.

(b) "Sewerage and Sanitation – Sanitation Services – Human Resource Development" – Rs.500.00 lakhs – due to non-materialisation of proposals for training owing to non-receipt of proposals.

(B) Major Head "2552" -

(a) "Water Supply –Rural Water Supply Programme – Accelerated Rural Water Supply Programme"– Rs.52000.00 lakhs; and

(b) "Sewerage and Sanitation – Sanitation Services – Rural Sanitation Programme" – Rs.8000.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - 'केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम'' -

(क) 'मानव संसाधन विकास' - 3600.00 लाख रु.; और

(ख) 'सूचना, शिक्षा और संचार' - 2000.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2215'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) 'जल पूति और सफाई - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम' -

(क) 'मानव संसाधन विकास' - 2489.79 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए विभिन्न अभिकरणों से उपयुक्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी कर दिए जाने के कारण हुई।

(ख) 'सूचना, शिक्षा और संचार' - 861.51 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) 'राज्य बोर्डों, प्राधिकरणों आदि को अनुदान' - 16288.71 लाख रु. की बचत (156216.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुईं।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(C) Major Head - "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Water Supply – Rural Water Supply Programme"

(a) "Human Resource Development" – Rs.3600.00 lakhs; and

(b) "Information, Education and Communication" – Rs.2000.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to reduction of provision at revised estimates stage.

(II) Under Major Head "2215" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Water Supply -Rural Water supply Programme" -

(a) "Human Resource Development" – saving of Rs.2489.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to non-receipt of adequate proposals from various agencies for conducting training programmes.

(b) "Information, Education and Communication" – saving of Rs.861.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs); and

(c) "Grants to State Boards, Authorities etc." – saving of Rs.16288.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.156216.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(घ) 'प्रबंधन सूचना प्रणाली और कम्प्यूटरीकरण' - 798.77 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रबंधन सूचना प्रणाली कार्यकलापों के उपयुक्त संख्या में मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(d) "Management Information System and Computerisation" – saving of Rs.798.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to non-materialisation of adequate number of MIS activities.

(खा) ''जल मल और सफाई - सफाई सेवाएं' -

(B) "Sewerage and Sanitation – Sanitation Services" -

(क) ''अनुवीक्षण और मूल्यांकन' - 889.36 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(a) "Monitoring and Evaluation" – saving of Rs.889.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Governments for conducting evaluation studies.

(ख) ''सूचना, शिक्षा और संचार' - 4817.31 लाख रु. की बचत (6200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्मल ग्राम पुरस्कार/स्कीमों को अगले वित्तीय वर्ष के लिए आस्थगित किए जाने के कारण हुई।

(b) "Information, Education and Communication" – saving of Rs.4817.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6200.00 lakhs) was due to deferment of Nirmal Gram Puruskar/Schemes to next financial year.

(III) मुख्य शीर्ष ''3601'' - 'केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Water Supply – Rural Water Supply Programme" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''अनुवीक्षण ओर अन्वेषण इकाइयां' - 222.50 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी कर दिए जाने और राज्य सरकारों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने के कारण हुई।

(A) "Monitoring and Investigating Units" - saving of Rs.222.50 lakhs (against the sanctioned provision Rs.250.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and availability of unspent balances with the State Governments.

(खा) 'प्रबंधन सूचना प्रणाली और कंप्यूटरीकरण' - 932.84 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(B) "Management Information System and Computerisation" - saving of Rs.932.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to receipt of less proposals from State Governments.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 69.90 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत थी।

(IV) Under one head saving of Rs.69.90 lakhs occurred constituting 12 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (8000.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2215'' - ''जल मल और सफाई - सफाई सेवाएं - जिला जल और सफाई समितियों, मिशनों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों आदि को अनुदान के अंतर्गत मार्च, 2007 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 7805.52 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''3601'' - 'केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 15699.45 लाख रु. का अधिक व्यय (299450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष'2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ ।

2.(I) The above savings were partly (Rs.8000.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2007 under Major Head “2215” - “Sewerage and Sanitation – Sanitation Services – Grants to District Water and Sanitation Committees, Missions, District Rural Development Agencies etc.” Actual excess, however, was Rs.7805.52 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “3601” – “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Water Supply – Rural Water Supply Programme – Accelerated Rural Water Supply Programme” – excess of Rs.15699.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.299450.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.